न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/1138/2005/जोधपुर

1– अखेसिंह पुत्र नारायणसिंह
2– चैनसिंह पुत्र नारायणसिंह
3– गंगासिंह पत्नि नारायणसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण कलावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

––अपीलांट्स

बनाम

1– श्रीमती समुन्द्रकंवर पत्नि स्व. नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी कलावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर (मृतक)
1/1 क्षेत्रपालसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम इन्दोई तहसील रामसर जिला बाड़मेर (मृतक)
1/1/1 कविताकंवर पत्नि क्षेत्रपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम इन्दोई तहसील रामसर जिला बाड़मेर
1/1/2 जितेन्द्र सिंह पुत्र क्षेत्रपालसिंह
1/1/3 यशवंत सिंह पुत्र क्षेत्रपालसिंह

(दोनों नाबालिग जरिए वाल संरक्षक माता कविताकंवर पत्नि क्षेत्रपालसिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम इन्दोई तहसील रामसर जिला बाड़मेर

प्रतिवादी/रेस्पोडेंटस

2– राजूसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी कलावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
3– श्रीमती धापूकंवर पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी आचीणा तहसील खींवसर जिला नागौर।
4– श्रीमती किशनकंवर पत्नि आजादसिंह जाति राजपूत निवासी डावरा तहसील औसिया जिला जोधपुर।
5– श्रीमती राजूकंवर पत्नि खुशालसिंह जाति राजपूत निवासी गीगाला तहसील औसिया जिला जोधपुर।

तरतीबी/रेस्पोडेंटस

खण्डपीठ
श्री,गणेश कुमार सदस्य
श्री भवानीसिंह पालावत,सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट्स की ओर से
श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस की ओर से
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस की ओर से

निर्णय

दिनांकः 16–11–2022

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर अपील संख्या–171/2004 के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–09–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

अपील पर उभयपक्ष अभिभाषकगण को सुना गया।

2– अभिभाषकगण अपीलांट्स की ओर से एक लिखित बहस दिनांक 11–10–2022 को प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली भी की गई। अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अभिभाषकगण/अपीलांट्स द्वारा कथन किया गया कि वादी नारायणसिंह पुत्र नाथूसिंह जिनका वारिसान अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 है, ने एक राजस्व वाद प्रतिवादी रेस्पो0 सं0 1 श्रीमती समुन्द्रकंवर पत्नि नाथूसिंह व अन्य प्रतिवादीगण अर्जुनसिंह वगैरह के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89,188 व 92ए के तहत विद्वान सहायक कलक्टर (एसडीओ) जोधपुर के समक्ष प्रस्तत किया था। उन्होंने बताया कि प्रतिवादी/रेस्पो0 सं0 1 द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादी के वाद के कथनों को अस्वीकार कर वाद खारिज किए जाने को निवेदन किया था। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से वाद में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। उन्होंने बताया कि वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण की ओर से विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 30–04–1968 को विवादित आराजी पर प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया गया था जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपीलीय न्यायालय ने वादी की ओर से प्रस्तुत अपील को अपने आदेश दिनांक 15–03–1969 द्वारा स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 30–04–1968 को निरस्त कर दिया था, जिसके विरूद्ध

प्रतिवादी सं0 1 समुन्द्रकंवर द्वारा माननीय न्यायालय में निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई थी। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली तलब किए जाने से वाद में अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी किन्तु आदेशिकाओं में उभयपक्षों के अभिभाषक लगातार उपस्थित होते रहे एवं आदेशिकाओं में यह अंकन आता रहा कि वाद की मूल पत्रावली माननीय न्यायालय से लौटकर नहीं आई है। इसी दरमियान वाद की मूल पत्रावली राजस्व मण्डल, अजमेर से निर्णय होने के उपरांत उभयपक्षों के अभिभाषक परीक्षण न्यायालय में लगातार उपस्थित रहे, किन्तु आगे चलकर प्रतिवादीया समुन्द्रकंवर व उसके अभिभाषक न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध वाद में एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया और पारित आदेश एकपक्षीय होने से अंतिम रहा। परीक्षण न्यायालय ने अभिकथनों के आधार पर तनकीयात कायमकर वादी की साक्ष्य लिए जाने के पश्चात वादी के वाद को अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23–03–1971 व 13–04–1972 द्वारा डिक्री कर दिया। प्रतिवादी/रेस्पो0 सं0 1 ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25–09–2004 द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो0 सं0 1 की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया कि परीक्षण न्यायालय ने उनके द्वारा दिए गए ऑब्जरवेशन के परिपेक्ष्य के अतिरिक्त तनकीयात कायम कर पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए न्यायोचित व विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उनका तर्क है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए निर्णय दिनांक 25–09–2004 को पारित कर दिया। उनका तर्क है कि विद्वान अपीलीय

न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की कोई तनकी कायम नहीं की गयी है जिससे अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 25 सीपीसी के प्रावधानों को अनदेखा कर उसके विपरीत जाकर अपना निर्णय पारित किया है। उनका आगे तर्क है अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था लेकिन उन्होने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना व वाद में लिप्त कानूनी बिन्दु को देखे बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। दौराने बहस अपीलांट की ओर से 1985 AIR P&H पेज 341, 2003 (3) WLC 575, 1980 AIR पेज 111, 1981 AIR SC पेज 707, 2002 AIR SC पेज 771 प्रस्तुत करते हुए अन्त में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर, परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–3–1971 को यथावत रखे जाने का निर्णय निर्णय पारित करने हेतु निवदेन किया।

3– इसके विपरित अभिभाषक/रेस्पो0 ने अभिभाषक अपीलांट की ओर से की गई बहस का खंडन किया और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित बताते हुए तर्क दिया कि वादी/रेस्पो0 स्वयं नाथूसिंह का दत्तक पुत्र नहीं है। यदि उसे दत्तक पुत्र मान भी लिया जावे तो भी स्व0 नाथूसिंह की समस्त सम्पति में उसका अकेले का हक नहीं हो सकता है अपितु नाथूसिंह की पत्नी श्रीमती समुन्द्रकंवर व उसकी पुत्री का भी समान हक विधिअनुसार बनता है। मगर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया है। उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त कर उन्हें समुचित सुनवाई हेतु वाद में अतिरिक्त तनकीयात कायम करने हेतु पक्षकारान की विधिवत सुनवाई करते हुए उन्हें विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमें हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की

आवश्यकता नहीं है। अंत में अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

4— हमने अभिभाषगण उभयपक्ष की ओर से की गई बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही अपीलांट पक्ष की ओर से प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अवलोकन किया।

5— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 ने उसकी ओर से प्रस्तुत वादपत्र के पद सं0 1 में स्वयं को जागीरदार श्री नाथूसिंह का दत्तक पुत्र होना बताया है जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में श्री नाथूसिंह ने कभी—भी वादी को दत्तक पुत्र नहीं लेने का कथन किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह फाइण्डिंग दी है कि परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय आवश्यक तनकीयात कायम नही की है। प्रथम तो अपीलीय न्यायालय ने आदेश अंतर्गत अपील पारित करते समय कौन—कौन सी तनकी परीक्षण न्यायालय द्वारा कायम नहीं की, उसका अपने निर्णय में विस्तृत रूप से खुलासा नहीं किया। द्वितीय उनकी राय अनुसार अभिकथनों के आधार पर कोई तनकी कायम करना रह गई थी तो उनको अपने निर्णय करने से पूर्व उक्त तनकी को उभयपक्षों के साक्ष्य लेकर निर्णित करना चाहिए था किंतु अपीलीय न्यायालय को परीक्षण न्यायालय के निर्णय/डिक्री को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं था जैसा कि आदेश 41 नियम 25 सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है।

6— आदेश 41 नियम 25:—

25. Where Appellate Court may frame issues and refer them for trial to court whose decree appealled from- where the Court from whose Decree the appeal is preferred has omitted to frame or try any issue, or to determine any question of fact, which appears to the Appellate Court essential to the right decision or the suit upon the merits, the Appellate Court may, if necessary, frame issues, and refer the same for trial to

the court from whose decree the appeal is preferred and in such case shall direct such Court to take the additional evidence required; and such court shall proceed to try such issues, and shall return the evidence to the Appellate Court together with its findings thereon and the reasons therefore [within such time as may be fixed by the Appellate Court or extended by it from time to time.]

7— उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर आदेश 41 नियम 25सीपीसी के प्रावधानों को नजरंदाज कर उसके विपरित जाकर निर्णय पारित किया है।

8— पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादिया व उसके अभिभाषक अनुपस्थित रहे जिसके चलते उनके विरूद्ध वाद में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। उसके द्वारा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने बाबत किसी प्रकार का कोई आवेदन अथवा निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। उक्त आदेश अंतिम रहा। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रतिवादिया द्वारा प्रस्तुत अपील को गुणवगुण पर सुनने के उपरान्त राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर स्वयं को उनके समक्ष विचाराधीन अपील को गुणावगुण पर निर्णित करनी चाहिए थी। आदेश 41 नियम 25 सीपीसी के प्रावधानों के तहत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उनको गुणावगुण पर अपील का निर्णय करना चाहिए था। किन्तु उन्होंने उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किए बिना व वाद में लिप्त कानूनी बिन्दू को देखे बिना अपना निर्णय पारित कर दिया। इसके अलावा यह स्पष्ट है कि मण्डल के समक्ष निगरानी पेश होने पर निगरानी के निर्णय होने के उपरांत पत्रावली विचारण न्यायालय में पहुंच गई। इसके बाद दिनांक 11—08—1970 की आदेशिका में पत्रावली न्यायालय में प्राप्त होना व दोनों पक्षों का हाजिर होना अंकित है। उसके

बाद की आदेशिकाओं में दोनों पक्षों की दिनांक 14–08–1970, 15–10–1970, 09–11–1970, 17–11–1970 एवं 07–12–1970 तक की उपस्थिति है।उसके पश्चात दिनांक 22–12–1970 को प्रतिवादीगण की गैरहाजिरी के कारण एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। उसके पश्चात दिनांक 23–12–1970 को तनकी बनाई है। दिनांक 25–01–1971, 15–02–1971, 22–02–1971 को साक्ष्य में पत्रावली चली है व उसके पश्चात दिनांक 16–03–1971 को बहस सुनी गई और दिनांक 23–03–1971 को निर्णय पारित किया गया है। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि राजस्व मण्डल से पत्रावली वापस प्राप्त होने पर प्रतिवादी को सूचना दिए बिना उनकी गैरहाजिरी में परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, मानने योग्य नहीं है व विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने के जो आधार लिए हैं, कानून सम्मत नहीं कहा जा सकता है। अपीलांट की ओर से 1985 AIR P&H पेज 341, 2003 (3) WLC 575, 1980 AIR पेज 111, 1981 AIR SC पेज 707, 2002 AIR SC पेज 771 प्रस्तुत कानूनी नजीरें हस्तगत प्रकरण पर बखूबी चस्पा होती हैं।

9– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर का निर्णय दिनांक 25–09–2004 को खारिज करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के आधार पर विवेचन करते हुए एवं पक्षकारान की विधिवत सुनवाई करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य